फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर बनाम सोरन इंटरप्राइजेज वगैरा

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर ..91... सन् 2020

RCMS No. 2020/000 15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुव
17.03.20	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्यारा प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. सोरन इंटरप्राइजेज प्रो0 स्व0 श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री सोरनसिंह पता एच 1–575, ग्रोथ सेंटर रीको इंडस्ट्रियल एरिया धौलपुर ऋणी, 2. श्रीमती राजाबेटी पत्नी स्व0 श्री राजवीरसिंह, 3. श्री रामलखन, 4. श्री सत्येन्द्र सिंह, 5. श्री धर्मेन्द्रसिंह पुत्रगण स्व0 श्री राजवीरसिंह वारिसगण स्व0 श्री राजवीरसिंह निवासीगण 1/161, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, धौलपुर राजस्थान के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 13.09.2013 को 20,00,000/– रूपये मात्र राशि का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– 1. प्लॉट संख्या एच–1–575, ग्रोथ सेंटर, रीको, धौलपुर राजस्थान मालिक स्व0 श्री राजवीरसिंह पुत्र श्री सोरनसिंह, क्षेत्रफल 500.00 वर्ग मीटर जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नवत है:– उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या जी–1–569, दक्षिण दिशा में रीको रोड़ 18 मीटर चौडी, पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या जी–1–574, एवं पश्चिम दिशा में रीको रोड 18 मीटर चोड़ी। 2. प्लॉट संख्या जी–1–570, ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर राजस्थान मालिक श्रीमती राजाबेटी पत्नी श्री राजवीरसिंह क्षेत्रफल 100.00 वर्ग मीटर, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नवत है:– उत्तर दिशा में रोड 30 मीटर, दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या एच 573–574, पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या जी–571, एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या जी 1– 569, 3. प्लॉट संख्या एच–1–575 ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर में स्थित समस्त स्टॉक एवं मशीनरी, ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.10.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 20.11.2019 को अधिनियम की धारा	243-245 18.3.2020

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 20,00,000/- दिनांक 01.10.2019 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया हैं।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी 1. प्लॉट संख्या एच-1-575, ग्रोथ सेंटर, रीको, धौलपुर राजस्थान मालिक स्व0 श्री राजवीरसिंह पुत्र श्री सोरनसिंह, क्षेत्रफल 500.00 वर्ग मीटर जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नवत है:- उत्तर दिशा में प्लॉट संख्या जी-1-569, दक्षिण दिशा में रीको रोड़ 18 मीटर चौड़ी, पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या जी-1-574, एवं पश्चिम दिशा में रीको रोड़ 18 मीटर चौड़ी। 2. प्लॉट संख्या जी-1-570, ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर राजस्थान मालिक श्रीमती राजाबेटी पत्नी श्री राजवीरसिंह क्षेत्रफल 100.00 वर्ग मीटर, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नवत है:- उत्तर दिशा में रोड़ 30 मीटर, दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या एच 573-574, पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या जी-571, एवं पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या जी 1- 569, 3. प्लॉट संख्या एच-1--575 ग्रोथ सेन्टर रीको धौलपुर में स्थित समस्त स्टॉक एवं मशीनरी, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे।

आदेश आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला धौलपुर, धौलपुर